

## वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – नियमित टीकाकरण

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

अनुबंध पर नियुक्त ए.एन.एम./एल.एच.वी. एवं अन्य का प्रशिक्षण ( District Level Orientation for 2 days ANMs,LHVs etc training)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या – C-9.1

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

पार्ट – सी.

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ए.एन.एम., एल.एच.भी. बी.एच.डब्ल्यू. – पुरुष आदि, जो अप्रशिक्षित बच गये हैं।) हेतु उपलब्ध कराये गए मॉड्यूल के अनुसार दो दिवसीय जिलास्तरीय प्रशिक्षण दिया जाना है। यह पुस्तिका निम्नलिखित वेब साइट पर उपलब्ध है।

<http://www.whoindia.org/EN/Section6/Section284/Section286.htm>

इस प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सम्पूर्ण मार्गदर्शन भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं हेतु टीकाकरण पुस्तिका के मार्गदर्शिका में उपलब्ध है। यह पुस्तिका निम्नलिखित वेब साइट पर उपलब्ध है।

[http://www.whoindia.org/LinkFiles/Routine\\_Immunization\\_Facilitator\\_Guide\\_IH\\_for\\_HWs\\_2006.pdf](http://www.whoindia.org/LinkFiles/Routine_Immunization_Facilitator_Guide_IH_for_HWs_2006.pdf)

प्रति बैच 20 प्रतिभागी एवं तीन प्रशिक्षक होंगे।

इकाई राशि (रु0 लाख में)

1. डी.ए. – 400 / – रु0 प्रति प्रतिभागी ।
2. डी.ए. – 600 / – रु0 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन (कम से कम दो क्लास प्रतिदिन)।
3. भोजन एवं चाय नाश्ता हेतु 200 / – रु0 प्रति प्रतिभागी एवं प्रशिक्षक
4. फोटो कॉपी, टी.वी., वी.सी.डी. प्लेयर, स्टेशनरी, फिलप चार्ट, टेबल, कुर्सी आदि के लिए प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 250 / – रु0।
5. ट्रेनिंग मॉड्यूल रा.स्वा.समिति बिहार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

## वित्तीय दिशा निर्देशन

प्रतिदिन की उपस्थिति पंजी का संधारण एवं प्रशिक्षण समाप्ति के दिन ही इनको देय राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)


संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डा.गोपाल कृष्ण, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी प्रतिरक्षण

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351





## वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – नियमित टीकाकरण

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

'शीत श्रृंखला से संबंधित कर्मचारी का एक दिवसीय जिलास्तरीय प्रशिक्षण ( One day Cold Chain Handlers training)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या – C-9.4

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

पार्ट – सी.

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 -10 वाक्य अधिकतम)

'शीत श्रृंखला से संबंधित कर्मचारी का एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण यूनिसेफ बिहार पटना के मॉड्यूल के अनुसार किया जाना है। इसके लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रति प्रा.स्वा.के. एवं सरकारी अस्पताल से दो-दो योग्य कार्यकर्ता को चिन्हित करके उनका प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षक यूनिसेफ से एवं एक प्रशिक्षक जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी रहेंगे।

इकाई राशि (रु0 लाख में)

1. डी.ए. – 400/- रु0 प्रति प्रतिभागी ।
2. डी.ए. – 600/- रु0 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन (कम से कम दो क्लास प्रतिदिन )।
3. भोजन एवं चाय नाश्ता हेतु 200/- रु0 प्रति प्रतिभागी एवं प्रशिक्षक
4. फोटो कॉपी, टी.वी., वी.सी.डी. प्लेयर , स्टेशनरी , फिलप चार्ट , टेबल, कुर्सी आदि के लिए प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 250/- रु0 ।
5. ट्रेनिंग मॉड्यूल यूनिसेफ द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।
6. कुल लागत का 15 प्रतिशत Incidental Expenses के लिये निर्धारित है ।

वित्तीय दिशा निर्देशन

प्रतिदिन की उपस्थिति पंजी का संधारण एवं प्रशिक्षण समाप्ति के दिन ही इनको देय राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)


संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डा.गोपाल कृष्ण, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी प्रतिरक्षण

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351





## वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – नियमित टीकाकरण

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

'डाटा हैंडलर का एक दिवसीय जिलास्तरीय प्रशिक्षण( One day Data Handlers training at Block level)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या – C-9.5

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

पार्ट – सी.

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

नियमित टीकाकरण डाटा के संकलन एवं प्रतिवेदन आदि संबंधित कर्मचारियों का एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण किया जाना है। इसके लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रति प्रा.स्वा.के. एवं सरकारी अस्पताल से एक-एक योग्य कर्मचारी को चिन्हित करके उनका प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षक यूनिसेफ से एवं एक प्रशिक्षक जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी रहेंगे।

इकाई राशि (रू0 लाख में)

1. डी.ए. – 400 / – रू0 प्रति प्रतिभागी ।
2. डी.ए. – 600 / – रू0 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन (कम से कम दो क्लास प्रतिदिन )।
3. भोजन एवं चाय नाश्ता हेतु 200 / – रू0 प्रति प्रतिभागी एवं प्रशिक्षक
4. फोटो कॉपी, टी.वी., वी.सी.डी. प्लेयर , स्टेशनरी , फिलप चार्ट , टेबल, कुर्सी आदि के लिए प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 250 / – रू0 ।
5. कुल लागत का 15 प्रतिशत Incidental Expenses के लिये निर्धारित है।

वित्तीय दिशा निर्देशन

प्रतिदिन की उपस्थिति पंजी का संधारण एवं प्रशिक्षण समाप्ति के दिन ही इनको देय राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डॉ. नोपाल कृष्ण, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी प्रतिरक्षण

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

३

